



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या व.सं/07/2022-721

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गया वन प्रमंडल, गया।

पटना 14, दिनांक-02/8/2022

विषय — भारतमाला परियोजना के तहत गया जिलान्तर्गत आमस-शिवरामपुर (0.000-55.002 कि०मी०) पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.064 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा के संबंध में।

प्रसंग — भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/BR/Road/146205/2021/440 दिनांक 29.07.2022


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत गया जिलान्तर्गत आमस-शिवरामपुर (0.000-55.002 कि०मी०) पथ निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा पृच्छा की गयी है जो प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) में स्वतः स्पष्ट है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office

पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: एफ.पी/बी.आर/रोड/146205/2021/440

दिनांक: 29/07/2022

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बिहार सरकार, अरण्य भवन,

शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना-800014.

विषय :- भारतमाला परियोजना के तहत गया जिलान्तर्गत आमस-शिवरामपुर (0.00-55.002 कि०मी०) पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.064 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-वन भूमि-36/2022-551(ई)/प.व.ज.प. दिनांक 12.07.2022 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता है:

1. Attested copy of Part-I of the application should be attached and upload in the proposal. Name, designation, signature and date of signature of the attesting authority should be legible.
2. CA Scheme along with CA land suitability certificate from concerned DFO & Toposheet map of the proposed CA land.
3. As per Para 11.2 of the Comprehensive Guidelines issued under Forest (Conservation) Act, 1980, any proposal for linear projects such as roads, need to be processed in its entirety for comprehensive assessment of requirement of forest land. It appears from the Parivesh portal that one more proposal of NH-119 D for diversion of 3.142 ha of 4- laning is pending with State Government under Bharatmala Pariyojna (Lot-5, Pkg-7). Therefore, it is requested to either integrate and submit a comprehensive proposal

for a single project including the requirement of forest land in other district with all mandatory details for consideration under F(C) Act, 1980 or to enclose an explanation for not doing so.

4. It appears that in Parivesh portal under PART-I, D(i) document for, "justification for locating the project in forest land" is uploaded of the another proposal (No.FP/BR/ROAD/143461/2021). It may be corrected.
5. As per submitted kml file, forest area proposed for diversion comes out to be 1.109295 ha instead of 2.064 ha. The kml file should be corrected to confirm the area as per ground calculation.
6. The employment generation (permanent) may be explained by user agency.
7. Tree translocation is proposed in the proposal, therefore the translocation plan may be included in the application.
8. Strip plantation plan along side the proposed road may be submitted.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाय।

विश्वासभाजन

(शशि शंकर)
सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना-800014.

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)